

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- चिरंजीलाल दायमा, आर० ए० एस०)

दो अपीलें

अपील संख्या :- 23/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- 1. पहलू पुत्र गल्लड जाति मेव निवासी ग्राम बीबीपुर तहसील
तिजारा जिला अलवर ।

:- अपीलांत

बनाम

1. मैसर्स हिन्दुस्तान फाईवर्स लिमिटेड ग्राम बनबीरपुर तहसील तिजारा
जरिये अधिकृत प्रतिनिधी रामजीलाल वर्मा पुत्र बहादुरचंद निवासी
1927 सैक्टर - 28 फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बीबीपुर
सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।


:- असल रेस्पों

2. एस० पी० वर्मा पुत्र स्व० रत्तीराम वर्मा जाति कुम्हार निवासी
जी-25 गली नम्बर 16 राजपुरी उत्तम नगर, नई दिल्ली - 59
हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा
जिला अलवर ।

3. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा ।

:- तरतीबी रेस्पों

अपील विरुद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 15.1.2015


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

अपील संख्या :- 26/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. पहलू पुत्र गल्लड जाति मेव निवासी ग्राम बीबीपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स हिन्दुस्तान फाईवर्स लिमिटेड ग्राम बनबीरपुर तहसील तिजारा जरिये अधिकृत प्रतिनिधी रामजीलाल वर्मा पुत्र बहादुरचंद निवासी 1927 सैक्टर - 28 फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— असल रेस्पो0

2. एस0 पी0 वर्मा पुत्र स्व0 रत्तीराम वर्मा जाति कुम्हार निवासी जी-25 गली नम्बर 16 राजपुरी उत्तम नगर, नई दिल्ली - 59 हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।
3. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा ।


:— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री
उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 7.1.15

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री मुनीराम यादव
2. वकील रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय

दिनांक 7.10.2015


नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राज्य सरकार, अलवर

1. उपरोक्त दोनों अपीलें के पक्षकार एवं आराजी एक समान है तथा दोनों ही अपीलें विभाजन की डिक्री के विरुद्ध पेश की गई है अर्थात् चाहा गया अनुतोष भी एक समान है । अतः इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

1. प्रस्तुत अपील संख्या 23/2015 न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2014 उनवान मैसर्स हिन्दुस्तान फाईबर्स लि० बनाम पहलू वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.1.2015 के विरुद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री करते हुये विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है ।

2. अपील संख्या 26/2015 न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2014 उनवान मैसर्स हिन्दुस्तान फाईबर्स लि० बनाम पहलू वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 7.1.2015 के विरुद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर० टी० एक्ट डिक्री किया करते हुये विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय मे दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 58 एयर वाके ग्राम बीबीपुर तहसील तिजारा पक्षकारान की शामिलता खाते की आराजी है । इस आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज है । मौके पर पक्षकारान ने बटवारा कर रखा है । मात्र दस्तावेजों में शामिलता खाता दर्ज है । शामिलता में खेती करना मुश्किल है । प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । अतः दावा डिक्री किया जाकर आराजी का विभाजन किया जावे । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7.1.2015 द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की है । इस निर्णय दिनांक 7.1.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील संख्या 26/2015 पेश की है । इसके पश्चात प्रकरण में कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने के बाद तहत न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.1.2015 द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील संख्या 23/2015 पेश की है ।

3. हर दोनों अपीलों में विद्वान वकील अपीलांट प्रतिवादी का बहस में तर्क है कि विद्वान तहत न्यायालय ने तनकियात कायम नहीं की । अपीलांट प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार करते समय विभाजन के नियमों की पालना नहीं की है । उक्त रिपोर्ट पर अपना ऐतराज पेश करने का मुझको अवसर नहीं दिया गया । तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में यह रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । जिस जगह जिस पक्षकार का कब्जा था, उसको वह भूमि नहीं दी गई है । विवादित भूमि का पूर्व में कोई लिखित अथवा मौखिक बटवारा नहीं हुआ है । मेरा जिस भूमि पर कब्जा था, वह भूमि मुझको नहीं दी



न्यायालय अधिकारी एवं पदेन

गई है । जो भूमि मुझे दी गई है, उसमें हाईटेंशन बिजली लाईन का पोल गड़ा हुआ है, जिसमें काफी रकबा मिला हुआ है, जिससे मेरा रकबा पूरा नहीं होता है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । चूंकि मुझको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पोंडेंट का कथन है कि इनकी तामील रजिस्टर्ड पत्र से करवाई गई है । एक माह के अंदर अगर तामीलशुदा सम्मन लौटकर नहीं आते हैं तो कानूनन यह प्रोपर तामील मान ली जाती है । अगर इनको किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो इनको तहत न्यायालय में अपना ऐतराज पेश करना चाहिये था । अपील में इनको ऐतराज उठाने का अधिकार नहीं है । सम्मन पर इनका वो ही पता लिखा गया था, जो इन्होंने दिया है । चूंकि इनकी प्रोपर तामील हो चुकी थी और इनको दावे एवं अपीलाधीन आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी । परन्तु इन्होंने जानबूझकर यह अपील मियाद बाहर पेश की है । अतः निवेदन है कि अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । मेरिट्स पर बहस करते हुये विद्वान वकील ने बताया कि विवादित भूमि शामलात खाते की आराजी है जिसमें मेरा 3/4 हिस्सा है । नक्शा ट्रेस पेश किया गया है । मौके पर कोई रास्ता अथवा सड़क नहीं है । पूर्व में आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका था । कागजों में बंटवारा नहीं हुआ है । शामलात में खेती करना मुश्किल हो रहा था । इसलिये मैंने बंटवारा का दावा किया । जिसे तहत न्यायालय ने विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये सही तौर पर डिक्री किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोंडेंट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों के जवाब में विद्वान वकील अपीलांट का कहना है कि मुझ पर प्रोपर तामील नहीं हुई थी । इसलिये मैं तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था । इस कारण अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जब रेस्पोंडेंट द्वारा पेश किये गये कैवियट प्रार्थना पत्र के सम्मन मुझको मिले, तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । इस पर तहत न्यायालय में मालूम कर अपीलाधीन आदेश की नकल लेकर यह अपील पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अपीलांट अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । जिसके लिये प्रतिवादी अपीलांट को तहत न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन किया । ये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना पाया जाता है । परन्तु ये नोटिस लौटकर नहीं आये है जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील रेस्पोंडेंट का कथन है कि अगर एक माह के अंदर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये सम्मन लौटकर नहीं आते हैं तो कानूनन तामील होना मान लिया जाता है । विद्वान वकील रेस्पोंडेंट के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत है । इस प्रकार यह स्पष्ट




श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

हो जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट की प्रोपर तामील हो चुकी थी परन्तु वे तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये । परन्तु माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दु पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर अपीलांट द्वारा की गई देरी को कन्डोन किया जाता है और हर दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7. विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस मियाद बिन्दू के अलावा मुख्य रूप से इस तथ्य पर जोर दिया कि उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है, उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिये प्रकरण रिमांड किया जावे । चूंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिवादी अपलांट की जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रोपर तामील हुई थी परन्तु इसके बावजूद वे तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और अपील मियाद बाहर पेश कर दी तथा देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया । अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमांड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।


8. इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को उसके हिस्से अनुसार आराजीयात दी गई है । सम्पूर्ण भूमि की किस्म चाही सोयम है एवं अपीलांट को हिस्से अनुसार चाही सोयम किस्म भूमि ही दी गई है । अपीलांट का मात्र 0.0362 हेक्टेयर हिस्सा बनता है, जो उसे दे दिया गया है । इस प्रकार कुर्रे कायमी रिपोर्ट मौके एवं रिकार्ड के अनुसार तैयार किया जाना पाया जाता है । इस रिपोर्ट के आधार पर ही विद्वान तहत न्यायालय ने तकासमा की अंतिम डिक्री पारित की है ।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रोपर तामील हुई थी परन्तु वह जानबूझकर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । उसे अपीलाधीन आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी । इसके अलावा अपीलांट का जितना हिस्सा बनता था अर्थात उसका हिस्सा रिकार्ड एवं कब्जे अनुसार 0.0362 हेक्टेयर बनता है, जो उसे दे दिया गया है । इस प्रकार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने में विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।


शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

10. अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें अपील संख्या 23/2015 तथा अपील संख्या 26/2015 खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 15.1.2015 तथा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.1.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पर्चा डिक्री जारी हो । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार हो ।


(चिरंजीलाल दायमा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

दो अपीलें

पील संख्या :- 23/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

नवान :- 1. पहलू पुत्र गल्लड जाति मेव निवासी ग्राम बीबीपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— अपीलांट

बनाम

1. मैसर्स हिन्दुस्तान फाईवर्स लिमिटेड ग्राम बनबीरपुर तहसील तिजारा जरिये अधिकृत प्रतिनिधी रामजीलाल वर्मा पुत्र बहादुरचंद निवासी 1927 सैक्टर - 28 फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— असल रेस्पो0

2. एस0 पी0 वर्मा पुत्र स्व0 रत्तीराम वर्मा जाति कुम्हार निवासी जी-25 गली नम्बर 16 राजपुरी उत्तम नगर, नई दिल्ली - 59 हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

3. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा ।

:— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री उपखंड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 15.1.2015

पेल संख्या :- 26/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

वान :- 1. पहलू पुत्र गल्लड जाति मेव निवासी ग्राम बीबीपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बनाम

1. मैसर्स हिन्दुस्तान फाईवर्स लिमिटेड ग्राम बनबीपुर तहसील तिजारा जरिये अधिकृत प्रतिनिधी रामजीलाल वर्मा पुत्र बहादुरचंद निवासी 1927 सैक्टर - 28 फरीदाबाद हरियाणा हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:— असल रेसपो

2. एस0पी0 वर्मा पुत्र स्व0 रत्तीराम वर्मा जाति कुम्हार निवासी जी-25 गली नम्बर 16 राजपुरी उत्तम नगर, नई दिल्ली-59 हाल काश्तकार बीबीपुर सब तहसील टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

3. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा ।

:— तरतीबी रेसपो

अपील विरुद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उप
खण्ड अधिकारी, तिजारा दिनांक 7.1.2015

उपस्थित :-

1. वकील अपीलांट :- श्री मुनीराम यादव
2. वकील रेसपो :- श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिक्री

दिनांक 7.1.2015

हर दोनों अपीलें अपील संख्या 23/2015 तथा अपील संख्या 26/2015 खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 15.1.2015 तथा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.1.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

(चिरंजीलाल दायमा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर